बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–06/CNG (किट)–09–03/2019 (खंड) 6745

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक– 12/9/19

विषयः– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–115 के तहत प्रयोगशील वाहनों पर CNG किट लगाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–115 (B) में निहित समस्त प्रावधानों के तहत प्रयोगशील (in-use) वाहनों में CNG किट फिटमेंट किये जाने हेतु केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–126 के अंतर्गत प्राधिकृत जाँच एजेंसी से प्रदत वाहन/मॉडलों के Type Approval Certificate के साथ आवेदन प्रस्तुत करने वाली निम्नांकित कंपनियों को निर्धारित मानक (BS-IV उत्सर्जन मानक) का CNG किट फिटमेंट की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र0सं0	किट निर्माता कंपनी/डीलर का नाम/पता	Type Approval प्रमाण–पत्र संख्या/एजेंसी	Type Approval प्राप्त वाहन मॉडल "(in-use)"/वैरियंट की संख्या
1	M/S MotoZen Fuel Systems Dahiya Greens, Sec-17-18, Dividing Road, opp. Green Park, Gurgaon-122007	ICAT, Haryana	
		CAMA 0292/27.12.2017	Honda Jazz
		CAMA 0076/31.03.2017	Honda Brio
		CAMA 0076 E01/17.07.2018	Honda Brio
		CAMA 0076 L04/26.03.2018	9 Models
		CAMA 0076 L05/01.05.2018	7 Models
		CAMA 0076 L01/07.04.2017	72 Models
2	M/S Extramile Gas Tech 167, MulKattamma Temple Road, Besides Rajiv Gandhi Stadium, Vittala Nagar, Bangalore-560026	ICAT, Haryana CAOA 0113/20.05.2019	Bajaj RE 4 Stroke 3 Wheeler Auto Rickshaw
3	M/S A.G. Enterprises., B1, Gala No. 2, Pritesh Complex, Anjur Phata Dapoda Road, Bhiwandi, Distt-Thane-421302	ICAT, Haryana CAOA 0088/22.04.2019	Bajaj RE 4 Stroke

1. CNG किट निर्माता कंपनियों के सक्षम प्राधिकार द्वारा अपना वितरक/डीलर नियुक्त किया जाएगा एवं उसकी सूचना संबंधित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
2. CNG यानों के लिए जाँच प्रक्रिया और सुरक्षा के मार्ग दर्शक, किट कम्पोनेन्ट्स उनके लगाये जाने सहित, उस समय तक समय–समय पर यथा संशोधित ए0आई0एस0 024 के अनुसार होंगे जब तक कि तत्समानी बी0आई0एस0 विनिर्दिष्टयों को अधिसूचित न कर दिया जाये।

4. रेट्रोफिटमेन्ट के लिए, CNG किट का टाइप अनुमोदन उस अनुमोदन के जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्ष तक वैध होगा और एक बार में तीन वर्ष तक के लिए नवीनीकरण योग्य होगा।
5. प्रयोगशील यानों पर CNG किट के रेट्रोफिटमेन्ट को किट विनिर्माता/सप्लायर या यान विनिर्माता, जैसा विषय हो द्वारा प्राधिकृत कार्यशालाओं द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। प्राधिकृत कार्यशालाओं (Workshops) की सूची कंपनी/डीलर द्वारा संबंधित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।
6. प्राधिकृत कार्यशाला द्वारा एक पंजी संधारित की जाएगी जिसमें उनके द्वारा किट फिटमेन्ट संबंधी प्रयोगशील वाहनों की सारी सूचना अंकित की जाएगी। विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर कार्यशाला द्वारा उसे प्रस्तुत करना होगा।
7. CNG किट का फिटमेन्ट अधिकृत केन्द्रीय एजेंसी द्वारा प्रदत Type Approval Certificate में दिए गए शर्त्त एवं Layout प्लान के अनुसार ही होगा।
8. निबंधन प्राधिकार निबंधन प्रमाण–पत्र में CNG फ्यूल पृष्ठांकन के समय CNG सिलिंडर एवं सिलिंडर बाल्व के लिए CCOE (Chief Controller of Explosive) से प्राप्त अनुमोदन का सत्यापन कर लेंगे।
9. कंपनी के प्राधिकृत डीलर/वर्कशॉप द्वारा होमोलोगेशन पोर्टल पर इन्वेंटरी दर्ज करने के पश्चात ही इंजन परिवर्तन का कार्य किया जाएगा।
10. रेट्रोफिटमेन्ट के संबंध में भारत सरकार अथवा परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर दिए गए निदेश का अनुपालन कंपनी/वितरक/डीलर द्वारा किया जाएगा।

विश्वासभाजन

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक–06/CNG (किट)–09–03/2019 (खंड)

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक–

विषयः– केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–115 के तहत प्रयोगशील वाहनों पर CNG किट लगाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–115 (B) में निहित समस्त प्रावधानों के तहत प्रयोगशील (in-use) वाहनों में CNG किट फिटमेंट किये जाने हेतु केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–126 के अंतर्गत प्राधिकृत जाँच एजेंसी से प्रदत वाहन/मॉडलों के Type Approval Certificate के साथ आवेदन प्रस्तुत करने वाली निम्नांकित कंपनियों को निर्धारित मानक (BS-IV उत्सर्जन मानक) का CNG किट फिटमेंट की अनुमति प्रदान की जाती है :–

क्र0सं0	किट निर्माता कंपनी/डीलर का नाम/पता	Type Approval प्रमाण–पत्र संख्या/एजेंसी	Type Approval प्राप्त वाहन मॉडल "(in-use)"/वैरियंट की संख्या
1	M/S MotoZen Fuel Systems Dahiya Greens, Sec-17-18, Dividing Road, opp. Green Park, Gurgaon-122007	ICAT, Haryana	
		CAMA 0292/27.12.2017	Honda Jazz
		CAMA 0076/31.03.2017	Honda Brio
		CAMA 0076 E01/17.07.2018	Honda Brio
		CAMA 0076 L04/26.03.2018	9 Models
		CAMA 0076 L05/01.05.2018	7 Models
		CAMA 0076 L01/07.04.2017	72 Models
2	M/S Extramile Gas Tech 167, MulKattamma Temple Road, Besides Rajiv Gandhi Stadium, Vittala Nagar, Bangalore-560026	ICAT, Haryana CAOA 0113/20.05.2019	Bajaj RE 4 Stroke 3 Wheeler Auto Rickshaw
3	M/S A.G. Enterprises., B1, Gala No. 2, Pritesh Complex, Anjur Phata Dapoda Road, Bhiwandi, Distt-Thane-421302	ICAT, Haryana CAOA 0088/22.04.2019	Bajaj RE 4 Stroke

1. CNG किट निर्माता कंपनियों के सक्षम प्राधिकार द्वारा अपना वितरक/डीलर नियुक्त किया जाएगा एवं उसकी सूचना संबंधित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
2. CNG यानों के लिए जाँच प्रक्रिया और सुरक्षा के मार्ग दर्शक, किट कम्पोनेन्ट्स उनके लगाये जाने सहित, उस समय तक समय–समय पर यथा संशोधित ए0आई0एस0 024 के अनुसार होंगे जब तक कि तत्समानी बी0आई0एस0 विनिर्दिष्टयों को अधिसूचित न कर दिया जाये।

3. "प्रयोगशील में" यानों पर ओ0ई0 फिटमेन्ट तथा रेट्रोफिटमेन्ट के लिए टाइप अनुमोदन के प्रति उत्तरदायित्व क्रमशः यान विनिर्माता और किट विनिर्माता अथवा सप्लायर का होगा।
4. "रेट्रोफिटमेन्ट" के लिए CNG किट का टाइप अनुमोदन उस अनुमोदन के जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्ष तक वैध होगा और एक बार में तीन वर्ष तक के लिए नवीनीकरण योग्य होगा।
5. प्रयोगशील यानों पर CNG किट के रेट्रोफिटमेन्ट को किट विनिर्माता/सप्लायर या यान विनिर्माता, जैसा विषय हो द्वारा प्राधिकृत कार्यशालाओं द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। प्राधिकृत कार्यशालाओं (Workshops) की सूची कंपनी/डीलर द्वारा संबंधित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।
6. प्राधिकृत कार्यशाला द्वारा एक पंजी संधारित की जाएगी जिसमें उनके द्वारा किट फिटमेन्ट संबंधी प्रयोगशील वाहनों की सारी सूचना अंकित की जाएगी। विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर कार्यशाला द्वारा उसे प्रस्तुत करना होगा।
7. CNG किट का फिटमेन्ट अधिकृत केन्द्रीय एजेंसी द्वारा प्रदत Type Approval Certificate में दिए गए शर्त्त एवं Layout प्लान के अनुसार ही होगा।
8. निबंधन प्राधिकार निबंधन प्रमाण–पत्र में CNG फ्यूल पृष्ठांकन के समय CNG सिलिंडर एवं सिलिंडर बाल्ब के लिए CCOE (Chief Controller of Explosive) से प्राप्त अनुमोदन का सत्यापन कर लेंगे।
9. कंपनी के प्राधिकृत डीलर/वर्कशॉप द्वारा होमोलोगेशन पोर्टल पर इन्वेंटरी दर्ज करने के पश्चात ही इंजन परिवर्तन का कार्य किया जाएगा।
10. रेट्रोफिटमेन्ट के संबंध में भारत सरकार अथवा परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर दिए गए निदेश का अनुपालन कंपनी/वितरक/डीलर द्वारा किया जाएगा।

विश्वासभाजन
ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–06/CNG (किट)–09–03/2019 6745 पटना, दिनांक :– 12/9/19

प्रतिलिपि :– प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता M/S MotoZen Fuel Systems Dahiya Greens, Sec-17-18, Dividing Road, opp. Green Park, Gurgaon-122007, E-mail: motozencng@gmail.com/M/S Extramile Gas Tech 167, MulKattamma Temple Road, Besides Rajiv Gandhi Stadium, Vittala Nagar, Bangalore-560026, E-mail: extramilegas@yahoo.co.in /M/S A.G. Enterprises., B1, Gala No. 2, Pritesh Complex, Anjur Phata Dapoda Road, Bhiwandi, Distt-Thane-421302, E-mail: as@aceenertech.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।